मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

MPSACS

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना संचालित करने हेतु अशासकीय संस्थाओं से अभिरुचि प्रस्ताव

(Expression of interest)

एचआईव्ही/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में एचआईव्ही की रोकथाम, बचाव, देखभाल, सहयोग एवं उपचार, कार्यक्रम प्रबंधन एवं रणनीतिक सूचना प्रबंधन के उद्देश्य से उच्च जोखिम समूह (कोर समूह–महिला यौनकर्मी, पुरूष समलैंगिक, ट्रान्सजेण्डर / हिजरा समुदाय एवं सुई द्वारा नशा करने वाले समूह) एवं ब्रिज जनसंख्या (प्रवासी मजदूर) के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।

मध्यप्रदेश में कार्यरत समुदाय आधारित संस्थाएं (CBO), गैर सरकारी संस्थाएं (NGO), ब्रिज जनसंख्या (प्रवासी मजदूर) जो कि उच्च जोखिम समूहों में एचआईव्ही/एड्स की रोकथाम हेतु प्रदेश के 03 जिलों (राजगढ़, खण्डवा एवं रायसेन (मण्डीदीप)) में लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना संचालन के इच्छुक हैं, से आवेदन आमंत्रित हैं। ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं जिन्हें 03 वर्ष का अनुभव हो एवं समुदाय आधारित संस्थाएं जिन्हें 01 वर्ष का अनुभव हो एवं कानूनी रूप से पंजीकृत एवं जीवित हैं आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियत्रंण समिति की वेबसाईट www.mpsacsb.org से प्राप्त किए जा सकते हैं।

निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन कोड–462011 में दिनांक 26/03/2021 को सायं 05:30 बजे तक सिर्फ पंजीकृत डाक या कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए तथा चाहे गए समस्त दस्तावेजों के साथ संलग्न एवं निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों, अपूर्ण आवेदनों एवं दस्तावेज संलग्न न होने पर आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदनों के निरस्तीकरण के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

विज्ञापन (प्रकाशन) के पूर्व जिन संस्थाओं ने समिति में परियोजना संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं, वे समस्त आवेदन नस्तीबद्ध माने जावेंगे। विज्ञापन पश्चात निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। आवेदन करने के पूर्व आवेदन प्रपत्र में दिए गए निर्देशों एवं विशेष नोट को ध्यान से पढ़ें एवं निर्देशों के अनुरूप ही आवेदन जमा करें।

परियोजना संचालक